संख्याः शिक्षा–एच(21)ए(1) 13/2020–21(विविध)–वॉल–1
शिक्षा निदेशालय (उच्चत्तर), हिमाचल प्रदेश।
Tel.No:-0177-2653120, Ext: 234, E-mail:-genbr@rediffmail.com Fax:0177-2812882
दिनांक : शिमला–171001, दिसम्बर, 2020

शिक्षा निदेशालय उच्चतर शिक्षा

09 DEC 2020

प्रेषक:–

निदेशक (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश शिमला–1

प्रेषित:–

उपनिदेशक (उच्चतर शिक्षा),
शिमला, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।

विषय:- Suo-Moto action on the news item published in Amar Ujala Hindi Newpaper on dated 29-09-2020 titled- शहर के ऑकलेंड ब्यॉयज स्कूल में बच्चे की खेलते–खेलते मौत।

ज्ञापन,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 29.09.2020 को दैनिक समाचार पत्र में "शहर के ऑकलैंड ब्यॉयज स्कूल में बच्चे की खेलते–खेलते मौत" शीर्षक से छप्पी खबर के सम्बन्ध में निदेशक (डब्ल्यू सी.डी.) एवं सदस्य सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा स्वत संज्ञान लेते हुए मामले को आयोग की बैठक में दिनांक 16.10.2020 को रखा गया जिसका अवलोकन करने पर आयोग को ज्ञात हुआ कि राजधानी शिमला के Auckland Boys School में गत 28 सितम्बर 2020 को 10वीं कक्षा का छात्र बास्केट बॉल का अभ्यास करने आया था। जो खेलते–खेलते अचानक वेसूध होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि उक्त मामले के सन्दर्भ में वास्तविकता का पता लगाया जाये तथा विद्यालय प्रशासन को यह स्पष्ट करने के निर्देश जारी करे कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद बास्केट बॉल के अभ्यास करने की अनुमति क्यों दी गई थी? क्या विद्यालय में कोई खेल प्रतियोगिता आयोजित की जानी थी जो बच्चों को अभ्यास करने के लिए स्कूल बुलाया गया? यदि अभ्यास कराना इतना आवश्यक ही था तो बच्चों के लिए प्राथमिक उपचार की सुविधा और खेल शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित क्यों नही की गई। अतः मामले की वास्तविकता से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हिमाचल प्रदेश सहित इस निदेशालय को भी अवगत करवाया जाये।

अति0 निदेशक उच्चतर शिक्षा (महावि0)
शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ।

पृष्ठांकन संख्याः दिनांकः शिमला– 171001, दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निदेशक (डब्ल्यू सी.डी.) एवं सदस्य सचिव, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग हिमाचल प्रदेश को उनके कार्यालय पत्र संख्याः–सी.पी.सी.आर.–ए(4)–2/218–874–875 दिनांक 25.11.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

रजिस्टर्ड

2. समस्त जिलों के उपनिदेशक (उच्चतर शिक्षा) को निर्देश दिये जाते है कि सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिये जाये कि कोरोना काल में यदि बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है तो उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा करना विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है जिसके लिए सुरक्षा हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था विद्यालयो में हर समय उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भविष्य में किसी भी आयोजन में सम्बन्धित शिक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना से बचाव हो सके।

3. रक्षक नस्ति ।

1333
15/12/20

DDHE
G-II
15/12/20
15/12/20

अति0 निदेशक उच्चतर शिक्षा (महावि0)
शिक्षा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश।

Endst. No: - EDN-U (G-IIR) Pvt. School/ 2018/- 2796
Office of the Deputy Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).
Dated Una 17 December, 2020

Forwarded in original to all the Principals/ Headmasters Private Senior Secondary / High Schools in Una District for information and strict compliance

Deputy Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP).